



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक...102...../2016

दिनांक 30/12/2016

विषय:-छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल नया रायपुर में निर्मित प्रकोष्ठ भवनों के मूल्य में 15 प्रतिशत छूट देने बाबत।

--000--

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल नया रायपुर सेक्टर क्रमांक 27 तथा सेक्टर क्रमांक 29 में सामान्य आवास योजनांतर्गत कुल 1199 प्रकोष्ठ भवन मूल्य रु.326.07 करोड़ की संपत्ति वर्ष 2013 से पूर्णतः पश्चात रिक्त हैं। संपत्ति के अविक्रित से मण्डल की निधि तरलता अवरुद्ध है, जिससे मण्डल को इस राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज की हानि हो रही है।

अतः 70वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2016 के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जन आवास योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के नया रायपुर सेक्टर 27 तथा सेक्टर 29 में उपलब्ध प्रकोष्ठ भवनों (फ्लैट्स) के विक्रय पर निम्नानुसार छूट दिनांक 31.12.2016 तक मण्डल सम्मिलन के अनुमोदन की प्रत्याशा में मण्डल के आदेश क्रमांक 64/2016, दिनांक 24.08.2016 से प्रदान की गई है। जिसकी कार्यान्वयन स्वीकृति 51वां मण्डल सम्मिलन दिनांक 24.09.2016 की पद संख्या 11 के पारित संकल्प क्रमांक 1430-11/51/09/2016 द्वारा तथा मण्डल के आदेश क्रमांक 82/2016 दिनांक 21.11.2016 द्वारा दी गई है।

(अ) यदि आबंटी द्वारा भवन की संपूर्ण राशि आबंटन तिथि से 60 दिवस के अंदर जमा की जाती है, तो (10+5) 15 प्रतिशत छूट भवन के मूल्य पर प्राप्त होगी।

(ब) यदि आबंटी द्वारा भवन की संपूर्ण राशि आबंटन तिथि से 60 दिवस के पश्चात् जमा किया जाता है, तो भवन के मूल्य पर 10 प्रतिशत छूट ही प्राप्त होगी।

वर्तमान में संपदा अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार छूट की अवधि बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः संपदा अधिकारी के अनुरोध पर विचार करते हुए आगामी मण्डल सम्मिलन के अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त छूट की अवधि में दिनांक 31.03.2017 तक वृद्धि की जाती है।

(आदेशानुसार)

मुख्य संपदा अधिकारी 30.12.16


छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

14

पृ.क्र.१११४ /आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-138/16 नया रायपुर, दिनांक 30/12/2016
प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. निज सचिव आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
5. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
6. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
7. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
9. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/वृत्त-नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
10. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर रायपुर।
12. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/राज. परिसंभाग-1,2, रायपुर/संभाग-दुर्ग /राजनांदगांव/ बिलासपुर/कोरबा/ रायगढ़/ धमतरी /कवर्धा/ महासमुन्द/ जगदलपुर/कोण्डागांव /अंबिकापुर/विद्युत संभाग 01 नया रायपुर/विद्युत संभाग 02 रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
13. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03,04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा /बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/की ओर सूत्रनार्थ एवं पालनार्थ।
14. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
15. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।


30.12.16
मुख्य संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर